



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38945

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट बी संख्या - 749/2026

सावित्री देवी

....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: उत्कर्ष सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री उत्कर्ष सिंह, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव तथा गाँव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष हेतु दायर की गई है:

"i. प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, प्रयागराज को परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उन्हें निर्देशित किया जाए कि वे वाद संख्या आरइवी/1260/2020 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या एएल20200257001260) [दुर्गा देवी एवं अन्य बनाम सावित्री देवी एवं अन्य] को उ.प्र.ज.अ. एवं एल.आर. अधिनियम, 1950 की धारा 333 के अंतर्गत इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निर्णीत करें।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निजी प्रत्यर्थियों द्वारा उ.प्र.ज.अ. एवं एल.आर. अधिनियम, 1950 की धारा 198(4) के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न दायर पुनरीक्षण, प्रत्यर्थी संख्या 2-राजस्व परिषद, प्रयागराज के समक्ष वर्ष 2020 से लंबित है। उन्होंने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता उपरोक्त पुनरीक्षण में विपक्षी पक्ष है। उन्होंने लंबित कार्यवाही का आदेश पत्रक, जो वर्तमान याचिका में अनुलग्नक 5 के रूप में संलग्न है, यह दर्शाने हेतु प्रस्तुत किया कि मामला शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रहा है।
4. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, वर्तमान याचिका को अंततः निस्तारित करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद, उ.प्र., इलाहाबाद/प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त पुनरीक्षण को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विधि के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः उनके समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, निर्णीत करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

20 फ़रवरी, 2026

मिनी